**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3987**
**दिनांक 17 मार्च, 2026 / 26 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए**

**बाढ़ प्रवण क्षेत्र**

**†3987. श्री शाहू शहाजी छत्रपती:**
**डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में हाल ही में आई बाढ़ का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या कोल्हापुर की पहचान बाढ़ प्रवण जिले के रूप में की गई है;**

**(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में आपदा न्यूनीकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और**

**(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के अंतर्गत उक्त आपदा की स्थिति के लिए कितनी निधि जारी की गई है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, किसी भी आपदा के कारण हुए नुकसान का आकलन करने और जमीनी स्तर पर राहत सहायता वितरित करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, अपने पूर्व-निर्धारित राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3987 दिनांक 17.03.2026**

और आवश्यक रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि मुआवजे के रूप में।

महाराष्ट्र में 2025 में आई बाढ़ के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, 16 अक्टूबर, 2025 को नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया। आईएमसीटी ने 3 से 5 नवंबर, 2025 के दौरान राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से 27.11.2025 के पत्र के माध्यम से 2025 की बाढ़ के मद्देनजर ₹29,781.66 करोड़ की राशि की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन प्राप्त हुआ। ज्ञापन की समीक्षा करने के बाद, इस मंत्रालय ने 09.01.2026 के पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सरकार से एसडीआरएफ/एनडीआरएफ प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार मदों और मानदंडों सहित एक संशोधित ज्ञापन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। आगे की कार्रवाई स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

केंद्र सरकार ने 28 फरवरी, 2022 को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के गठन और प्रशासन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में एनडीएमएफ के अंतर्गत चलाए जाने वाले न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। एनडीएमएफ के दिशानिर्देश वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं। एनडीएमएफ के तहत, राज्यों की न्यूनीकरण परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर जोखिम क्षेत्र (क्षेत्र और जनसंख्या), आपदा और संवेदनशीलता जैसे महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर विचार किया जाता है।

केंद्र सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल के व्यापक नुकसान को रोकने के लिए देश में प्रभावी राहत उपायों को सुनिश्चित करने हेतु कई पहलें की हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि (एनडीएमएफ) के तहत कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं और कार्यों का विवरण तथा आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3987 दिनांक 17.03.2026**

**वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-**

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| क्र. सं. | वर्ष | केंद्र और राज्य के हिस्से सहित एसडीआरएफ के तहत आवंटन | एसडीआरएफ में केंद्र का जारी हिस्सा |
|---|---|---|---|
| 1. | 2020-21 | 3436.80 | 2577.60 |
| 2. | 2021-22 | 3436.80 | 2577.60 |
| 3. | 2022-23 | 3608.80 | 2706.40 |
| 4. | 2023-24 | 3788.80 | 2841.60 |
| 5. | 2024-25 | 3978.40 | 2984.00 |

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| क्र. सं. | वर्ष | आपदा | उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा स्वीकृत राशि | एनडीआरएफ से जारी राशि* |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-21 | चक्रवात नीसर्ग | 268.59 | 268.59 |
| | | बाढ़ | 151.53 | 151.53 |
| | | बाढ़ | 701.00 | 701.00 |
| 2. | 2021-22 | बाढ़/भूस्खलन | 355.39 | 355.39 |
| 3. | 2022-23 | बाढ़/भूस्खलन | 577.50 | 0.00 |
| 4. | 2023-24 | - | - | - |
| 5. | 2024-25 | - | - | - |

***एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि का 50% समायोजन के अधीन**

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3987 दिनांक 17.03.2026**

अनुलग्नक-।

विशेष रूप से महाराष्ट्र में कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत शमन परियोजनाओं का विवरण, साथ ही आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण।

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| कार्यक्रम /परियोजना/ योजना | कुल वित्तीय परिव्यय उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित | महाराष्ट्र के लिए कुल वित्तीय परिव्यय अनुमोदित | महाराष्ट्र के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से स्वीकृत केंद्रीय अंश | महाराष्ट्र के लिए जारी |
|---|---|---|---|---|
| शहरी बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम [मुंबई और पुणे के लिए] | 3075.65 | 994.40 | 750.00 | 225.00 |
| भूस्खलन जोखिम शमन के लिए कार्यक्रम<br>[महाराष्ट्र सहित 15 राज्य] | 1000.00 | 100.00 | 90.00 | - |
| बारह सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता कार्यक्रम<br>[महाराष्ट्र सहित 12 राज्य] | 2022.16 | 174.10 | 100.00 | 50.00 |
| सर्वाधिक आकाशीय बिजली प्रवण 50 जिलों में आकाशीय बिजली सुरक्षा हेतु शमन परियोजना<br>[महाराष्ट्र सहित 10 राज्य] | 186.78 | 14.28 | 12.11 | - |
| वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए शमन योजना<br>[महाराष्ट्र सहित 19 राज्य] | 818.92 | 53.60 | 48.73 | - |

***